ABESIT
COLLEGE OF ENGINEERING

ABES Institute of Technology

ABESIT/RO/Notices/05/2020-21/11 18th May, 2021

Notice

This information is for the students who have applied for the scholarship in the session 2020-21 but whose scholarship form has been rejected by DSWO.

Students whose scholarship form has been rejected will receive SMS from Social Welfare Office and they are required to meet DSWO with required documents within 15 days for correction in their scholarship form.

(Registrar)

C. C. to:-

- Hon'ble Chairman Sir
- Director Sir (e-mail),
- Head – Deptt. of CSE/IT/ECE/ME/CE/Applied Science (e-mail),
- Dr. Rakesh Singh Tomar, Head – Library (e-mail),
- CRC (e-mail),
- Mr. Sachin Sharma, Head – Accounts Department (e-mail),
- Mr. Ravinder Yadav – Head Service Deptt. (e-mail),
- Warden – Boys' Hostel,
- Warden – Girls' Hostel,
- Examinations Cell,
- Records Room (**RO – 05**),
- ABESIT web-site.

ई–मेल

निदेशालय, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश

पत्रांक– C-145 / स0क0 / शिक्षा–अ / 3 / 159(02) / 2021–22
लखनऊ : दिनांक : 10 अप्रैल, 2021

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय–वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति वेबसाइट पर छात्रों का स्टेटस प्रदर्शित किये जाने के उपरान्त नियमावली के अनुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

कृपया निदेशालय पत्र सं0–सी–131 / स0क0 / शिक्षा–अ / 03 / 159(02) दिनांक 29.04.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जनपद स्तर से वेरीफाई किये गये डाटा का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से आधार बेस्ड तथा अकाउन्ट बेस्ड द्वारा करने तथा जिला स्तर से वेरीफाई किये गये डाटा में से भी विभिन्न कारणों से मिस्मैच अथवा अपात्र छात्रों का डाटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई लखनऊ के माध्यम से लगाये गये चेक एवं बैकएण्ड डाटा को निदेशालय स्तर पर परीक्षण के उपरांत मिस्मैच एवं गलत होने की दशा में रोकने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल भुगतानित छात्रों का संस्थावार डाटा आपके लागिन पर संस्थावार रिपोर्ट के अन्तर्गत छात्र के आधार बेस भुगतान की दशा में छात्र के बैंक खाते के अंतिम चार डिजिट एवं बैंक का नाम प्रदर्शित किया गया है जिससे कि आधार बेस भुगतान की स्थिति में छात्र को बैंक का नाम तथा खाता संख्या की अंतिम चार डिजिट से अपना बैंक खाता ज्ञात करने में सुविधा हो सके। छात्र के स्टेटस में आधार लिंक बैंक खाते के अंतिम चार अंक तथा बैंक का नाम छात्र की सुविधा के लिए प्रदर्शित करा दिया गया है।

आप अवगत हैं कि छात्र का आवेदन पत्र निरस्त होने की दशा मे उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली–2016 के नियम–17(IV) में निम्न व्यवस्था दी गयी है:–

जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र, नियमों के अन्तर्गत न होने के कारण अस्वीकृत होते हैं, ऐसे अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा अस्वीकृति के कारणों की जानकारी एन0आई0सी0 के माध्यम से आनलाइन प्रदर्शित की जायेगी तथा छात्र के मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 द्वारा सूचित किया जायेगा। सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित छात्र, जिलाधिकारी को अपील कर सकेगा। जिलाधिकारी उस अपील पर सकारण लिखित आदेश पारित करेगा। जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा। पारित आदेश के अन्तर्गत अनर्ह अभ्यर्थियों को अध्ययन के लिये आवश्यक शुल्क स्वयं वहन करना होगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त बिन्दु पर नियमावली के अनुसार कार्यवाही जनपद स्तर से सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा इसको सभी संस्थाओं एवं उनके माध्यम से छात्रों को भी सूचित करने का कष्ट करें जिससे कि नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा सके।

06/5/2021

(राकेश कुमार)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

(राकेश कुमार)
निदेशक

कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी, गाजियाबाद।

——x——x——

पत्रांक C-208 / स0क0 / दशमो0 छात्र0 / 2021-22 दिनांक: 17-5-2021

प्रतिलिपि रजिस्ट्रार / निदेशक / प्राचार्य / प्रधानाचार्य, समस्त इंजी. / मेडिकल / कॉलेज / पॉलीटेक्निक के समस्त शिक्षण संस्थानों को इस निर्देश के साथ कि यदि किसी छात्र का आवेदन पत्र निरस्त हुआ है, तो ऐसे छात्र 15 दिन के अन्दर जिलाधिकारी के समक्ष अपील कि जाना है।

अतः अपने स्तर से छात्रों को सूचित करने का कष्ट करें, जिससे नियमानुसार कार्यवाही को जा सके।

17/5/2021

Copy - DIOS Gzb.

जिला समाज कल्याण अधिकारी